न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
सत्र वाद संख्या–236/2019
(खैरा थाना कांड संख्या–129/2017 से उत्पन्न)

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राकेश मराण्डी
बनाम
राज्य सरकार
अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा–395

18.07.2025 **1.** काराधीन आवेदक अभियुक्त **राकेश मराण्डी** पिता स्व0 जेठा मराण्डी, साकिन–राजाडुमर, थाना–चकाई, जिला–जमुई न्यायालय में जमानत आवेदन को दाखिल किए। आवेदक अभियुक्त दिनांक 23.05.2025 से काराधीन है। जमानत आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजन को प्राप्त करायी गयी। जमानत के बिंदु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजन श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित कर निवेदन किए कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा प्रस्तुत वाद में कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त जमानत पर था, दिनांक 10.02.2025 को अभिलेख साक्ष्य हेतु निश्चित था तथा आवेदक अभियुक्त द्वारा नियमित पैरवी की जा रही थी। न्यायालय द्वारा आवेदक अभियुक्त न्यायालय में नहीं होने के कारण आवेदक का बंध पत्र खंडित हो गया तथा आवेदक के विरूद्ध दिनांक अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। आवेदक अभियुक्त जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त दूसरे राज्य चला गया था, आवेदक को उपस्थित होने की जानकारी नहीं थी। आवेदक अभियुक्त बिना कारण पर्याप्त समय से काराधीन है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

3. विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं।

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि अभिलेख साक्ष्य पर नियत था। आवेदक अभियुक्त विगत कई तिथियों से अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक का दिनांक 09.07.2025 को बंध पत्र खंडित किया गया।

लगातार.........

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

सत्र वाद संख्या–236 / 2019

(खैरा थाना कांड संख्या–129 / 2017 से उत्पन्न)

उपस्थित– कमला प्रसाद,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राकेश मराण्डी

बनाम

राज्य सरकार

अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा–395

–लगातार–

18.07.2025

आवेदक अभियुक्त को आपराधिक विविध वाद संख्या 27040 / 2019 में आदेश दिनांक 24.04.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना से जमानत दिया गया था। आवेदक दिनांक 23.05.2025 से कारा में संसीमित है। आवेदक अभियुक्त जानबूझकर जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। आवेदक द्वारा प्रथम् बार जमानत का दुरूपयोग किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दस हजार रूपये का दो जमानतदार न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत करने पर आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तें–

(i) आवेदक वाद के निष्पादन तक प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

(ii) आवेदक लगातार दो तिथियों तक बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा बंध–पत्र खंडित कर दिया जाएगा।

(iii) आवेदक अभियुक्त किसी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा और ना प्रभावित करने का प्रयास करेंगा।

(iv) उक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर आवेदक का बन्ध पत्र खण्डित कर दिया जायेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
जमुई